

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :- श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बर:- 7/20

दायर दिनांक:-23.12.2020

निर्णय दिनांक:-18.02.2022

1. रमणलाल पिता नाथा भमात निवासी पियोला पटवार हल्का बावडी तहसील चिखली जिला-डूंगरपुर (राज0)

बनाम


1. रतनलाल पिता नाथा भमात
2. लक्ष्मण पिता नाथा भमात
3. लाला पिता नाथा भमात
4. लक्ष्मण पिता स्व. हलू
5. बापु पिता स्व. हलू
6. शम्भुलाल पिता विरा
7. सुखलाल पिता विरा
8. दिनेश पिता विरा भमात
निवासीयान पियोला तहसील चिखली जिला-डूंगरपुर (राज0)
9. लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब, चिखली जिला डूंगरपुर (राज0)

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्त. अधिनियम

::अन्तिम निर्णय ::

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई है। प्रतिवादी संख्या 4, 5 वादी के भाई हलू की संतान तथा 6 7, 8 हलू के पोते है जिसकी खाते की पैतृक भूमि गाँव पियोला पटवार हल्का बावडी में खाता संख्या नया 159 व पुराना 123 का खसरा नम्बर क्रमशः 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 476, 477, 478, 479, 480, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 कुल खसरा 38 रकबा 8.7781 हैक्टर स्थित है जिसके सभी पक्षकार 1/5, 1/5 हिस्से पर मौखिक बटवारा अनुसार कब्जा काबिज होकर खेती बाडी कर रहे है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा निम्नानुसार है -



यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजीयात मौजा पियोला पटवार हल्का बावडी का विवरण का वादपत्र कि कॉलम संख्या 1 में अंकितानुसार है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य शिरकती खाते की भूमि का आपसी मौखिक बटवारा हुआ है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के बिच अच्छे व बुरे से बुरी किरम अनुसार बटवारा नहीं हुआ है पिताजी की मृत्यु के पश्चात वादी ने प्रतिवादीगण के उक्त शिरकती भूमि का कानुनन बटवारा कर अलग-अलग खाते कायम करवाने की बात कही परन्तु प्रतिवादीगण हर बात पर टालमटोल करते रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण

1/5, 1/5 हिस्से पर काबिज है किन्तु प्रतिवादीगण वादी के स्वतन्त्र हिस्से कब्जे काशत में बाधाए खडी कर रहे है जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते अलग-अलग नहीं होने से एवं दोनो पक्षकारों का बटवारा राजस्व रेकार्ड में नहीं होने से हमेशा विवाद पैदा हो रहा है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त फिर भी उपस्थित नहीं उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 8 द्वारा प्रकरण में बटवारा होने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी करने सहमति प्रदान की गयी थी कि मौजा पियोला पटवार हल्का बावडी तहसील चिखली जिला-डूंगरपुर (राज0) के खाता संख्या नया 159, पुराना 123 में खसरा नं. 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 476, 477, 478, 479, 480, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 कुल खसरा 38 रकबा 8.7781 है0 जमीन स्थित है जिसमें वादीया का बहिस्सा 1/5 हिस्सा, एवं प्रतिवादी नं. एक रतनलाल का बहिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मण पिता नाथा का बहिस्सा 1/5, एवं प्रतिवादी संख्या 3 लाला पिता नाथा का बहिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 लक्ष्मण पिता स्व. हलु का बहिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 5 बापु पिता स्व. हलू बहिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 6 शम्भुलाल पिता विरा बहिस्सा 1/80, प्रतिवादी संख्या 7 सुखलाल पिता विरा बहिस्सा 1/80, प्रतिवादी संख्या 8 दिनेश पिता विरा बहिस्सा 1/80 राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है। इसका का विधिवत कानूनी बटवारा करते हुए बटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस चाही गयी थी। प्रारम्भिक डिक्री के अनुसरण में तहसीलदार चिखली को पालनार्थ भेजी जाने पर जरिये पत्र कमांक 653 दिनांक 18.11.2021 द्वारा पालना कर रिपोर्ट भिजवाई थी। मौके पर उपस्थित वादी एवं मौतबिरान के रुबरु मौका देखा गया। जिसका कब्जे काशत अनुसार बटवारा स्कीम प्राप्त हुई। उक्त बटवारा स्कीम के अनुसरण में आज दिनांक 18.02.2022 को उभय पक्षकारान वकील अनुपस्थित रहे।


तहसीलदार चिखली से मौजा पियोला के खाता संख्या नया 159, पुराना 123 में खसरा नं. 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 476, 477, 478, 479, 480, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 कुल खसरा 38 रकबा 8.7781 है0 लगान 4.9300 की बटवारा स्कीम प्राप्त हुई। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बापु लक्ष्मण पिता हलु वादि पनि नं. हलु 4 दिनेश शम्भु सुखलाल पिता विरा हुकली पनि स्व. विरा 1/4 हिस् साकिन देह खातेदार		रतन लाल पिता नाथा मीणा हिस्सा पुर्ण साकिन देह खातेदार		रमण पिता नाथा मीणा हिस्सा पुर्ण साकिन देह खातेदार राहिन - आइ सी.आइ. बैंक लिमिटेड शाखा आत्रि		लक्ष्मण पिता नाथा मीणा हिस्सा पुर्ण साकिन देह खातेदार		लाला पिता नाथा मीणा हिस्सा पुर्ण साकिन देह खातेदार							
खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर)	विभाग	लागान	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर)	विभाग	लागान	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर)	विभाग	लागान	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर)	विभाग	लागान
435	0.1053	सिरगा प्र.	0.12	433	0.0162	पाल बन्दा	0.06	435/1	0.0566	सिरगा प्र.	0.06	435/2	0.0566	सिरगा प्र.	0.06
450	0.1133	सिरगा प्र.	0.12	434	0.2832			446	0.0081	खलिशन	0.21	437/1	0.1874	सिरगा प्र.	0.08
477	0.1505	सिरगा दि.	0.14	437	0.0391	सिरगा प्र.	0.04	447	0.0081	नेही		444	0.0243	खलिशन	0.15
480	0.4045	मरीठ इरीठ	0.02	438	0.5744	सुली प्र.	0.26	448	0.2104	सुली प्र.	0.16	445	0.0405	मकान	0.16
490	0.9154	राकड प्र.	0.20	439	0.1618	मारीठ वीठ	0.01	476	0.0405	पडत	0.41	448/1 448/4	0.0566 0.1618	सुली प्र. सुली प्र.	0.40
494	0.0405	सुली दि.	0.03	440	0.2993	सिरगा प्र.	0.33	477/2	0.1505	सिरगा दि.	0.13	477/3	0.1505	सिरगा दि.	0.27
6	1.729 5		0.49	442	0.0809	सिरगा दि.	0.07	485	0.1214	राकड प्र.	0.03	478	0.0324	सिरगा दि.	0.04
				443	0.0566	सुली दि.	0.04	489	0.0647	सुली दि.	0.04	479	0.0324	नाला/ना	1.16
				487	0.0647	सिरगा दि.	0.06	490/1 490/2	0.4050 0.5753	राकड प्र. राकड प्र.	0.07 0.09	484	0.0162	पाल बन्दा	

			488	0.0485	सिरमा द्वि.	0.04	496	0.0324	सुष्पी द्वि.	0.02	485/1	0.6148	राकर प.	0.12					
			491	0.0243	राकर प.		497	0.0243	सुष्पी द्वि.	0.02	486	0.0485	सिरमा द्वि.	0.04					
			493	0.0324	सुष्पी द्वि.	0.02	498	0.0162	सुष्पी द्वि.	0.01	490/3	0.2430	राकर प.	0.04					
			495	0.0485	सुष्पी द्वि.	0.03	499	0.0162	सुष्पी द्वि.	0.01	492	0.0647	सुष्पी द्वि.	0.04					
			13	1.7299		0.9	14	1.7297		1.05	14	1.7297		0.69					

उपरोक्त बंटवारा अनुसार मौजा पियोला के खाता संख्या नया 159, पुराना 123 में खसरा नं. 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 476, 477, 478, 479, 480, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 कुल खसरा 38 रकबा 8.7781 है0 को खातेदारो के मध्य अन्तिम निर्णय पारित कर वाद डिकी किया जाता है। बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस इस आदेश/निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को सरेईजलास सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो नम्बर से कम की जावे।


 (श्रीकान्त व्यास)
 उपखण्ड अधिकारी
 चिखली